न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 63/2018
GCMS NO. : 2018/00307

–:: वादी ::–
पूनाराम पुत्र जालाराम जाति– जाट,
निवासी–फालका, तहसील जैतारण,
जिला–ब्यावर

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–
1.सीता पत्नी बक्साराम
2.नेमाराम पुत्र बक्साराम
3.सोहनी पत्नी बगदाराम
4.महिपाल पुत्र बगदाराम
5.दिलीप पुत्र बगदाराम
6.तोलादेवी पुत्री बगदाराम
प्रतिवादी संख्या 4 व 6 नाबालिक
जरिए कुदरती वली माता सोहनीदेवी
पत्नी बगदाराम जातियान–जाट,
निवासीगण–फालका,
तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.12/03/2018

उपस्थितः–
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 29/07/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा फालका में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आयी हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	486	9–14बीघा	बारानी दोयम
2	487	14–08 बीघा	बारानी दोयम
3	488	8–00 बीघा	बारानी दोयम
4	494	20–00 बीघा	बारानी अव्वल
5	6–18	22–06 बीघा	बारानी अव्वल
	1005	4–02 बीघा	बारानी दोयम
	1026	8–08 बीघा	बारानी दोयम

कुल खसरा 07 कुल रकबा 86–18 बीघा

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या से का 1/2 हिस्सा है। हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त आराजी को आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunda Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

वाद में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्णित आराजी धन्ना पुत्र रामा की थी एवं वक्त सेटलमेंट के समय इस आराजी पर कब्जा व काश्त भी धन्ना का ही था नकल मिसल बंदोबस्त वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो कि सेटलमेंट के समय से धन्नाजी के नाम थी परन्तु धन्नाजी के फौत होने के पश्चात फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 52 दिनांक 11.10.1968 भरा गया था जो तत्कालीन पटवारी व सरपंच ने धन्नाजी के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही घीसा पुत्र धन्ना अकेले को धन्नाजी का एकमात्र वारिस मानकर म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया तथा वादी के पिता का नाम गलती से बतौर धन्ना के वारिस का नाम छोड़ दिया एवं तब इस विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में भी वादी के पिता का नाम बतौर धन्ना के उत्तराधिकारी नाम दर्ज नहीं किया गया था लेकिन विवादित आराजी में मौके पर वादी के पिता बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त करते थे तथा उनके फौत होने के पश्चात वादी बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं समय-समय पर जमा करवाया जाने वाला राजस्व शुल्क इत्यादि अर्थात् बिगोड़ी भी वादी ही जमा करवाता चला आ रहा है। वादी अनपढ व्यक्ति है एवं ग्रामीण परिवेश का भोला व्यक्ति होने एवं मजदूरी काश्त के धंधों में व्यस्त रहने से वादी ने विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपना ध्यान नही दिया। परन्तु जब वादी को यह ध्यान में आया कि कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से ऋण मिलता है जिस पर ब्याज सस्ता होने से वादी ने अपनी कृषि भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने का सोचा व बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहा तब संबंधित हल्का पटवारी के पास राजस्व रेकर्ड देखा तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है तब वादी ने मिसल बंदोबस्त व नकल जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 तथा म्यूटेशन संख्या 52 दिनांक 11.10.1968 प्राप्त करके देखा तो पता चला कि उक्त त्रुटि वादी के दादा के फौत होने के पश्चात् जो फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया था जिसमें कानूनी वारिसान की जांच किये बगैर भरा गया। इसलिए उक्त म्यूटेशन संख्या 52 दिनांक 11.10.1968 निरस्त किया जाकर वादी को भी उक्त विवादित आराजी का 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसलिए यह वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा का पेश है। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त है एवं 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा वादी का कब्जा अपने पिता जाला के समय से ही चला आ रहा है। लेकिन तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की गलती से वादी के पिता का नाम रा[illegible] में बतौर खातेदार के दर्ज होने से रह गया एवं उक्त सम्पू[illegible] रूप से प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी गयी थी जिसे अब प्रतिवा[illegible] की नियत में खोट आ गयी एवं प्रतिवादीगण वादी को उक्त [illegible] बेदखल कर बैचान करना चाहते है अगर प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वादी अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी क्रकर संभव नहीं है। इसलिए वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने पर जब पता चला कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं है तब दिनांक 30.04.2010 को वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा यह ऐलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि से कब्जा हटा लेना अन्यथा लाठी के बल पर तुम्हें बेदखल कर देंगे तथा उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बैचान के करेंगे तथा तुम्हारा उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने एवं वादी को उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने एवं विवादित आराजी का बैचान किया गया तो वादी ऐसा हरगिज नहीं करने देगा तथा जिससे विवाद बढ़ेगा एवं विभिन्न प्रकार की मुकदमेबाजी होगी तब वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 30.04.2010 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को यह कहना कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया जावे तब प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने व बेदखली तथा बैचान करने की ऐलानिया धमकी देने से राजस्व मौजा फालका में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादी पुनाराम एवं प्रतिवादीगण सीतादेवी व अन्य की ओर से राजीनामा पेश किया जो शा.मि. है। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश कर निवदेन किया है कि राजस्व मौजा फालका तहसील जैतारण जिला ब्यावर में स्थित खसरा नम्बर 476, 805, 1141, 483, 620, 621 कुल खसरा 06 कुल रकबा 61 बीघा 14 बिस्वा की भूमि व इसी प्रकार राजस्व मौजा फालका में ही स्थित खसरा नम्बरान 486, 487, 488, 494, 618, 1005, 1026 कुल खसरा 07 कुल रकबा 86 बीघा 18 बिस्वा की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज धन्नाराम वल्द रामाजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिनमें से वक्त सेटलमेन्ट के समय खसरा नम्बर 476, 805, 1141, 483, 620, 621 कुल खसरा 06 कुल रकबा 61 बीघा 14 बिस्वा की भूमि धन्नाराम जी के वंशज/पुत्र जालाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी जो वर्तमान में वादी पुनाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो सही है। इसी प्रकार राजस्व मौजा फालका में ही स्थित खसरा नम्बरान 486, 487, 488, 494, 618, 1005, 1026 कुल खसरा 07 कुल रकबा 86 बीघा 18 बिस्वा की भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसाराम वल्द धन्नाराम जी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। इस प्रकार से इस राजीनामा के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार भूमि वर्तमान तक वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन [illegible] नम्बर 1026 रकबा 1.3597 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1005 [illegible] 637 हैक्टेयर मे से 1/2 वे हिस्से की भूमि वादी पुनाराम [illegible] काश्त व हक अधिकार में चली आ रही है। लेकिन राजस्व [illegible] के नाम दर्ज होने से पक्षकारों के बीच वाद-विवाद [illegible] से यह वादपत्र पेश किया गया था। जो वर्तमान में जैर विचारण के है। तत्पश्चात गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों की समझाईश से यह तय किया गया कि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खसरा नम्बर 1026 रकबा 1.3597 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.6637 हैक्टेयर में से 1/2 वें हिस्से की भूमि वादी पुनाराम के नाम से दर्ज की जावे तथा इन्हीं दोनों खसरा नम्बर 1026 रकबा 1.

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested

3597 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.6637 हैक्टेयर में से शेष 1/2 वें हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के नाम से रखी जावें। इस आशय का राजीनामा की डिक्री सादिर फरमायी जावें। इस प्रकार से माफिक राजीनामा के अनुसार वादी पुनाराम व उसके वारिसान के हक हिस्से में राजस्व मौजा फालका में स्थित खसरा नम्बर 476, 805, 1141, 483, 620, 621 कुल खसरा 06 का सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि वादी पुनाराम के हक हिस्से व अधिकार में रहेगी। इसी प्रकार राजस्व मौजा फालका में ही स्थित खसरा नम्बर 486, 487, 488, 494, 618 कुल खसरा 05 के सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सीता देवी व अन्य समस्त के हक हिस्से व अधिकार की रहेगी। इस प्रकार से इस राजीनामा के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण व उनके वारिसान भविष्य में एक–दूसरे के विरुद्ध इस वादग्रस्त भूमि के कब्जे–काश्त व हक अधिकार को लेकर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करेगें। न ही कोई चाराजोही करेगें। इस प्रकार से इस वादपत्र में वर्णित शेष खसरा नम्बर 486, 487, 488, 494, 618 कुल खसरा 05 बाबत वादी पुनाराम अपना हक छोड़ता/त्याग करता है। जिससे उसके वारिसान भी पाबन्द है व रहेगें। इसी प्रकार इस वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 487 व 488 की भूमि में आवागमन के लिये बीच वाली माठ के पास दोनों पक्षकारान की आपसी सहमति से 14 फिट चौड़ा रास्ता आवागमन के लिये रखा जाएगा। जिसका उपयोग–उपभोग दोनों पक्षकारान अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से करेगें जिसमें किसी भी पक्षकारान को कोई उज्जर ऐतराज नहीं होगा। अतः राजीनामा हम पक्षकारान की ओर से पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त अनुसार माफिक राजीनामा के इस वादपत्र का निस्तारण फरमाते हुये इस वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार वादी पुनाराम को घोषित किया जावे एवं खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आपसी सहमति/राजीनामा तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि राजस्व मौजा फालका में स्थित खसरा नम्बर 476, 805, 1141, 483, 620, 621 कुल खसरा 06 का सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि वादी पुनाराम के नाम व खसरा नम्बर 486, 487, 488, 494, 618 कुल खसरा 05 के सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सीता देवी व अन्य के नाम बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जा[illegible] खसरा नम्बर 487 व 488 की भूमि में आवागमन के लिए [illegible] पर दोनों पक्षकारान के आपसी सहमति के आधार पर 14 फिट चौड़ा रास्ता [illegible] जाना उचित एवं विधि सम्मत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् राजस्व वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् को स्वीकार कर राजस्व मौजा फालका में स्थित खसरा नम्बर 476, 805, 1141, 483, 620, 621 कुल

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

खसरा 06 का सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि वादी पुनाराम के नाम व खसरा नम्बर 486, 487, 488, 494, 618 कुल खसरा 05 के सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सीता देवी व अन्य समस्त के नाम बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही खसरा नम्बर 487 व 488 की भूमि में आवागमन के लिए दोनों खसरों के बीच माठ पर दोनों पक्षकारान के आपसी सहमति के आधार पर 14 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड/भू-अभिलेख में प्रविष्ठि करते हुए रिकॉर्ड में आदेशानुसार अमलदरामद करें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार में जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला- ब्यावर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/07/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला- ब्यावर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sunda Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

बईजलास :– श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादी :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

पूनाराम पुत्र जालाराम जाति–जाट, निवासी–फालका, तहसील जैतारण, जिला–ब्यावर

1.सीता पत्नी बक्साराम
2.नेमाराम पुत्र बक्साराम
3.सोहनी पत्नी बगदाराम
4.महिपाल पुत्र बगदाराम
5.दिलीप पुत्र बगदाराम
6.तोलादेवी पुत्री बगदाराम
प्रतिवादी संख्या 4 व 6 नाबालिक जरिए कुदरती वली माता सोहनीदेवी पत्नी बगदाराम जातियान–जाट, निवासीगण–फालका, तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर

मु0न0 :रा0वा0 स0: 63/2018

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व मौजा फालका में स्थित खसरा नम्बर 476, 805, 1141, 483, 620, 621 कुल खसरा 06 का सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि वादी पुनाराम के नाम व खसरा नम्बर 486, 487, 488, 494, 618 कुल खसरा 05 के सम्पूर्ण रकबा की भूमि व खसरा नम्बर 1005, 1026 में से 1/2 वे हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सीता देवी व अन्य समस्त प्रतिवादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 487 व 488 की भूमि में आवागमन के लिए दोनों खसरों के बीच माठ पर दोनों पक्षकारान के आपसी सहमति के आधार पर 14 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार जैतारण उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड/भू–अभिलेख में प्रविष्ट करते हुए रिकॉर्ड में आदेशानुसार अमलदरामद करें।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमा.....–..... शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/07/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
जैतारण (जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunda Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०५	००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		-	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०२	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः	०७	००	मिजानः-	०१	००

नोटः- इस खर्ची के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया जाना हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.20 12:06:57 IST
Reason: SelfAttested